न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 03/2016
आर.सी.एम.एस. :– 2016/00011
दायर तिथि :– 14.01.2016
तारीख निर्णय :– 05.12.2019

अपीलान्टस् :– 1– प्रेम कुमार पुत्र मंशाराम जी उम्र 7 वर्ष नाबालिग
2– खुशबू पुत्री मंशाराम जी, उम्र 09 वर्ष, नाबालिग
3– रविना पुत्री मंशाराम जी, उम्र $2\frac{1}{2}$ वर्ष नाबालिग
नाबालिग तीनो जरिये कुदरती वलिया माता एवं वादमित्र
श्रीमति पुष्पादेवी पत्नि मंशाराम जी, आयु–30 वर्ष जातिगण
घॉची, निवासीगण–खांगड़ी, तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :– 1–बोराराम पुत्र भाकरराम, आयु–60 वर्ष, जाति–जाट,
निवासी–भगोणियों की ढाणी, ग्वालनाडा, तहसील–पचजदरा, जिला–
बाडमेर(राजस्थान)।
2– सुरेन्द्र सिंह देवडा, पटवारी हल्का खीमांडा, तहसील–सुमेरपुर
3– मूलसिंह देवडा, पटवारी हल्का खीमांडा, तहसील– सुमेरपुर
4– सरपंच ग्राम पंचायत खीमांडा, तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट्स की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट सं. 3 उपस्थित

–:: आदेश ::– दिनांकः– 05.12.2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 343 दिनांक 31–12–2015 जो सरपंच ग्राम पंचायत खीमाडा

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध इस आशय की पेश की, कि अपीलान्ट्स के पिता मन्शाराम पुत्र नाथाराम जाति घॉची निवासी खांगडी

तारीख 19.12.2015 को लापता हुये जिसकी गुमसुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना साण्डेराव में तारीख 23.12.2015 को अपीलान्ट्स की माता श्रीमति पुष्पा द्वारा दर्ज करवाई गई थी। अपीलान्ट्स की माता को यह शक हुआ की अपीलान्ट्स की पैतृक पुश्तैनी को मन्शाराम अपनी शोक मौज हेतु बैचान कर सकता हैं जिस पर अपीलान्ट्स की तरफ से उसकी माता ने बहैसियत वाद मित्र एक वाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी सुमेरपुर के न्यायालय में खातेदारी घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का मन्शाराम व अन्य सहखातेदारो के विरूद्ध तारीख 28.12.2015 को पेश किया था एवं वाद के दौरान वादग्रस्त भूमि का गैर कानूनी रूप से बैचान, हस्तान्तरण नही हो इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी वाद–पत्र के साथ पेश किया था। माननीय उपखण्ड अधिकारी जी ने वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया ओर राजस्व विविध प्रकरण संख्या 4685/2015 में बहस सुनते हुये तारीख 28.12.2015 को इस आशय का आदेश पारित किया कि सरहद मौजा खांगडी, तहसील सुमेरपुर के हाल खसरा नम्बर 98, 99, 102, 103, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 कुल रकबा 17.49 हैक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को आगामी आदेश तक यथावत बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है ओर पत्रावली को तारीख 22.01.2016 हेतु मुकर्रर किया गया जिस

.....लगातार पेज 2

Scanned by CamScanner

आदेश की एक प्रति उसी दिन तहसीलदार सुमेरपुर को प्रेषित की गई। रेस्पोडेन्ट्स एवं उसका साथी भलाराम पुत्र प्रभुराम जाति चौधरी निवासी शिकारगढ जिला जोधपुर हाल पटवारी ढोला तहसील–सुमेरपुर जो भूमि तस्कर है उन्होने माननीय उपखण्ड अधिकारी जी सुमेरपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के बाद उसी दिन तारीख 28.12.2015 को मन्शाराम का भलाराम ने अपने आपको आम मुख्त्यार बताते हुये रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के नाम विक्रय विलेख रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में करवा दिया उक्त विक्रय विलेख में मन्शाराम का सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय विलेख द्वारा बैचान करना बताया है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो पटवारी हल्का खीमांडा व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन भू. अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने मिलीभगती से न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद गलत रूप से हुई रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरकरण भर दिया, जॉच कर दी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या चार से मिलावट कर नामान्तरकरण संख्या 343 दिनांक 31.12.2015 को एक ही दिन में भरवाकर एक ही दिन में पारित करवा दिया। उक्त नामान्तरकरण प्रथम दृष्टियॉ गलत व गैर कानूनी रूप से भरा गया नामान्तरकरण हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज करने के बाद रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई जिसमें रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 बावजूद रजिस्टर्ड ए/डी. तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 4 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 की ओर से अपील का तारीख 18.03.16 को जवाब पेश किया, जिसमें उन्होनें जाहिर किया कि नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत हुआ उस समय या उसके पूर्व उक्त विवादग्रस्त भूमि के बारे में न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी हो रखा हो इसकी उसे या ग्राम पंचायत खीमांडा को कोई जानकारी नही थी। साथ ही रेस्पोडेन्ट्स संख्या चार ने यह भी जवाब में जाहिर किया की नामान्तरकरण जेर अपील को निरस्त किया जावे तो रेस्पोडेन्ट्स संख्या चार को कोई उजर आपत्ति नहीं है। उस जवाब अपील के बाद रेस्पोडेन्ट्स संख्या चार स्वंय कभी हाजिर नहीं आया न ही उनकी तरह किसी अधिवक्ता ने उपस्थिति दर्ज करवाई जिस कारण हमने वकील अपीलान्ट्स की एक पक्षीय बहस सूनी।

वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान जाहिर किया की रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने फर्जी व कुटरचित दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारीजी सुमेरपुर के स्थगन आदेश दिनांक 28.12.2015 के बावजूद तारीख 31.12.2015 को विक्रय विलेख के आधार पर भर दिया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के ज्ञान में स्थगन आदेश की जानकारी होते हुये भी नामान्तरकरण की पुस्त पर जॉच कर इन्द्राज सही होने का नोट अंकित किया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन ने मिलीभगत कर नामान्तरकरण जैर अपील को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से स्वीकार करवा दिया। तारीख 31.12.2015 को न तो ग्राम पंचायत, खीमांडा की मीटिंग हुई, न मीटिंग में नामान्तरकरण पेश हुआ न ही नामान्तरकरण मन्जूर या ना मंजूर करने बाबत प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रकार बिना ग्राम पंचायत की बैठक के रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से राजस्व कर्मचारी को फायदा पहुंचाने की नीयत से सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश तक को नही मानते हुये न केवल गैर कानूनी कृत्य किया है बल्कि उपखण्ड अधिकारीजी सुमेरपुर के न्यायालय के आदेश की स्पष्ट रूप सें अवहेलना की हैं। जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील खारिज होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है ग्राम खीमाडा, तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 98, 98, 102, 103, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 कुल रकबा 17.49 हैक्टर बाबत भरे गये नामान्तरकरण संख्या 343 दिनांक 31.12.2015 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिये जाते है कि नामान्तरकरण संख्या 343 के पूर्व की स्थिति को रेकर्ड में कायम करते हुये इन्द्राज दर्ज करें। रेस्पोडेन्ट सं. 1 रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के संबंध में अगर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है तो रेस्पोडेन्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.24 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: